सार-समाचार

खड़ी सप्ताह संपन्न, शोभायात्रा निकाली

जोधपुर, (कासं)। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन महंत शिवचेतन गिरी महाराज का नौवां बरसी महोत्सव गुरुवार को गादीपति महंत श्रीधरगिरी महाराज के सानिध्य में संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मंदिर समिति के शशिकांत तिवाड़ी ने बताया कि बरसी महोत्सव के दौरान अखंड रामायण पाठ व अखंड खड़ी सप्ताह सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान हुए। खड़ी सप्ताह के अंतिम दिन शशिलता शर्मा, पंकज जांगिड़, संजय पंचारिया, गीता मेवाड़ा, मंजू डागा, अरुण गुर्जर, मंजू प्रजापति, मंजू पंवार, प्रियंका बोराणा सहित अनेक कलाकारों और महिला मंडल ने भजनों की प्रस्तुति दी। इससे पूर्व सुबह समाधि पूजन व अखंड खड़ी सप्ताह की पूर्णारती के बाद शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें राम-सीता व राधाकृष्ण की मनमोहक संजीव झांकी के साथ सभी भक्त हाथों में धर्म पताका लिए मंगल गीत गाते हुए और जयकारे लगाते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। भीषण गर्मी के चलते भक्तों में अटूट आस्था और सेवाभाव की झलक नजर आई। शोभायात्रा का क्षेत्रवासियों द्वारा स्वागत किया गया और शीतल पेय, नींबू पानी, लस्सी आदि से मनुहार की गई। दोपहर में आयोजित महाप्रसादी में दिगंबर कमल गिरी, महंत मुनेश्वर गिरी, महंत रघुवीर गिरी सहित अनेक साधु-संत और श्रद्धालु शामिल हुए। संपूर्ण आयोजन की व्यवस्था में जगदीश राव, कैलाश राव, हनुमान सिंह राजपुरोहित, मांगीलाल विश्नोई, तारा सिंह, श्यामलाल बोराणा, विजय कुमार, दिव्यांशु बोराणा, मंदिर समिति सदस्यों, महिला मंडल, सेवादारों और क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा।

विद्युत चोरी के खिलाफ मामले दर्ज

पाली, (नि.सं.)। पाली जिले में बिजली चोरी करने वाले दोषियों द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं कराने वालो के खिलाफ जोधपुर डिस्कॉम ने 89 जनों को खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जोधपुर डिस्कॉम पाली के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि सतर्कता जांच प्रतिवेदन में जुर्माना राशि लंबे समय बाद भी जमा नहीं कराने पर निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कराने के लिए एपीटीपीएस थाने को निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत माह जनवरी-2023 से माह मई-2024 तक कुल 89 दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की एवं 22 लाख रुपये की राजस्व वसूली भी की गई है। सहायक अभियन्ता(सतर्कता) पाली द्वारा माह अप्रेल-2024 में 06 दोषियों में निम्बोल निवासी तेजाराम प्रेमाराम पुत्र मनोहर व उमराव पुत्र शेरुशाह, बिराटियां निवासी सुकना पत्नि पनजी देवासी, खारियांनींव निवासी राजाराम पुत्र लालूराम, चोपड़ा निवासी पपूराम पुत्र जोधाराम के खिलाफ जुर्माना राशि कुल 87604 रुपये जमा नहीं कराने एवं माह मई-2024 में 04 दोषियों में धोलामगरी बणियामाली निवासी मुन्नीदेवी पत्नि करणसिंह, राजोलाकलां निवासी जगदीश पुत्र गुमानाराम, गुड़ा धनावता निवासी भंवरसिंह पुत्र दलेसिंह, केरखेड़ा निवासी दुर्गासिंह पुत्र भवानी सिंह के खिलाफ जुर्माना राशि कुल 45029 रुपये जमा नहीं कराने पर एपीटीपीएस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप

जोधपुर, (कासं)। बासनी सेकंड फेस स्थित एक मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर पुजारी, पार्षद व ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन कर जिला कलैक्टर व पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपे। उन्होंने एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर कब्जे का आरोप लगाया है। बावड़ी बासनी स्थित बालाजी, भैरूजी व महादेवजी के मन्दिर के पुजारी त्रिवेणी गिरी ने बताया कि मंदिर में ललित गिरी महाराज की समाधि बनी हुई है। यहां पर बासनी गांव वाले पूजा अर्चना व जागरण करते है। पूर्व में मरूधर औद्योगिक क्षेत्र रिको द्वारा मन्दिर के लिए करीब तीन बीघा भूमि छोडी हुई है जिसके चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल भी बनी हुई है। उक्त मन्दिर के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से सिद्धनाथ रोड चौपासनी निवासी पूर्व पुलिस अधिकारी गोविन्दनारायण शर्मा कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने खण्डे बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डाल रखी है तथा अण्डरठाउण्ड की खुदाई करवाई जा रही है। वे पुलिस अधिकारी का रौब जताते हुए कई जगह पर अतिक्रमण कर रहे है। ज्ञापन में मंदिर की जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई। ज्ञापन देने में वार्ड नंबर 38 की पार्षद मंजू प्रजापत, दिनेश, सुरेश, रामकिशोर, अशोक कुमार, श्यामलाल आदि मौजूद रहे।

देताकलां में साइकिलें पाकर छात्राएं खुश

सायला, (निसं)। देताकलां स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राज्य सरकार की नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को नि:शुल्क साईकिलों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत करीबन 35 छात्राओं को साईकिलों का वितरण किया गया। जिससे छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने छात्राओं को लगन एवं मेहनत के साथ अध्ययन करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं गांव का नाम रोशन करने की बात कही। भोमाराम डांगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे दूर दराज से विद्यालय आवागमन करने वाली छात्राओं को पैदल असुविधा का सामना करना प?ता है। ऐसे में छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। जिससे छात्राओं को आवागमन में सुविधा के साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं रुचि ब?गी। इस दौरान भोमाराम डांगी, डूंगाराम राणा, राकेश कुमार, मालाराम, बीजाराम, मुकेश परिहार समेत ग्रामीण मौजूद थे।

समाजसेवी सोनगरा की देह दान की

जोधपुर, (कासं)। सूरसागर के रहने वाले समाजसेवी बस्तीराम सोनगरा की देह बुधवार को डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में दान की गई। उनका एक दिन पहले अचानक निधन हो गया था। सूरसागर में राजबाग, निवासी बस्तीराम सोनगरा ने करीब तेरह साल पहले देहदान का संकल्प लिया था। उन्होंने कई लोगों को देहदान के लिए भी प्रेरित किया था। उनका मंगलवार शाम को निधन हो गया। बुधवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थान से रवाना होकर डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची जहां परिजनों ने कॉलेज में यह देह समर्पित की। सोनगरा के परिजनों ने बताया कि 13 साल पहले उन्होंने देहदान का संकल्प पत्र भरा था। उनकी अंतिम इच्छानुसार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए देहदान किया गया। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा कटारिया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अब तक 218 देहदान हो चुकी है। इस वर्ष 16 देहदान हो चुकी है और इस माह में यह दूसरी देहदान है।

जेईई एडवांस्ड परीक्षा 26 को

जोधपुर, (कासं)। आईआईटी मद्रास द्वारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस्ड का आयोजन 26 मई को किया जाएगा। यह देश के विभिन्न शहरों में 222 केंद्रों में सुबह 9 से 12 व दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है।

कलैक्टर सहित अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि बिताई

जोधपुर, (कासं)। जिला प्रशासन के अधिकरी इन दिनों रात्रि विश्राम करते हुए सरकारी विभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।

कलैक्टर गौरव अग्रवाल ने बुधवार को रात्रि विश्राम के दौरान पिचियाक, खरिया मीठापुर फीडर, 220 केवी प्रसारण बिलाड़ा, जिला अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पिचियाक, खरिया मीठापुर फीडर की रात्रि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि अधिकारी हीट वेव और बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी एवं विद्युत के कारण आमजन को कोई दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित करे।

निरीक्षण के दौरान अग्रवाल ने 220 केवी प्रसारण बिलाड़ा का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने 220 केवी प्रसारण में फॉल्ट आने के बाद की जा रही बिजली व्यवस्था सुचारू करने के प्रयास का जायजा लिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि फॉल्ट या अन्य किसी कारण बिजली न आने की सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित गति उस समस्या का समाधान करे। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए आमजन को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अग्रवाल ने इस दौरान बिलाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण कर वहां की साफ सफाई, मरीजों के लिए उपलब्ध पेयजल व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों से बातचीत कर निशुल्क दवा, निशुल्क जांच समेत अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने लू और तापघात की स्थिति में आवश्यक दवाइयों का स्टॉक बनाए रखने और साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लू और तापघात मरीजों के लिए विशेष व्यवस्थाएं और वार्ड बनाए जाएं।

रात्रि चौपाल में सुनी जन समस्याएं

अतिरिक्त जिला कलैक्टर प्रथम दीप्ती शर्मा ने ग्राम पंचायत सूरपुरा में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हीट वेव एवं बढ़ती गर्मी के देखते हुए आमजन को बिजली और पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े। इसलिए जलदाय और विद्युत विभाग के अधिकारी व्यवस्था बनाए रखें।

कार्यालयों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

अतिरिक्त जिला कलैक्टर ग्रामीण श्रीमती सीमा कविया ने रात्रि विश्राम के दौरान 33 केवी फीडर बावड़ी, सीएचसी बावड़ी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पंपिंग स्टेशन सहित गोविंदपूरा में जल आपूर्ति की जांच का निरीक्षण कर बावड़ी क्षेत्र की पानी, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

3 वर्ष से फरार, पुलिस पर फायरिंग का आरोपी पकड़ा

पाली, (नि.सं.)। पुलिस थाना सोजत सिटी ने एनडीपीएस एक्ट व पुलिस पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का 3 वर्ष से फरार 25000/- रूपये का ईनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि पाली जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त इनामी अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना सोजत सिटी ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट सहित 3 प्रकरणो मे वांछित चल रहे 25000/- रूपये के इनामी अपराधी मांगीलाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गौरतलब है कि 20 जून 2021 को मोहनसिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना सोजतसिटी मय जाब्ता द्वारा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर की अटबडा से बिलाडा जाने वाली रोड पर नाकाबंदी कर अटबडा से खारियानींव जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक सफेद रंग की महिन्द्रा स्कार्पियो कार नम्बर जी.जे. 18 एएस 5630 की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 404 किलो 600 ठाम डोडा पोस्त भरा हुआ मिला।

अटबडा से जेतीवास रास्ते पर नाकाबंदी की गई तो दो सफेद रंग की स्कार्पियो का पुलिस द्वारा पीछा करने पर उक्त दोनों स्कार्पियो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करती हुई अटबडा गांव की तरफ वापस चली गई , जिनका पुलिस द्वारा पीछा करने पर अज्ञात व्यक्ति एक स्कार्पियो वाहन को मौके पर सरहद अटबडा में छोडकर दूसरी गाडी में बैठकर भाग गये थे। पुलिस थाना सोजत सिटी पर प्रकरण एनडीपीएस व 307 व आर्म्स एक्ट में दर्ज किया था। जांच के दौरान घनश्यामसिहं उर्फ भारतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी भोमियाजी का बाडिया, पुलिस थाना करेडा जिला भीलवाड़ा एवं जियाराम उर्फ जियोबा पुत्र जयरूपराम जाति विश्नोई निवासी भाणिया पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली को गिरफ्तार किया जाकर बाद अनुसंधान न्यायालय में पेश किया गया था। अभियुक्त किशन जाट पर 25000/- रूपये, मांगीलाल विश्नोई पर 25000/- रूपये एवं रमेश विश्नोई पर 10000/- रूपये के ईनाम की घोषणा की गई थी।

वैशाख पूर्णिमा पर हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन

जोधपुर, (कासं)। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर आज बुद्ध जयंती व पीपल पूर्णिमा परिघ, शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई गई। इस दिन भगवान विष्णु-महालक्ष्मी पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार बुद्ध के रूप में लिया था। शास्त्रों में निहित है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा होने के कारण आज शहर में शादियों की भी धूम रही। कई जगहों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन भी हुए।

सेवा भारती समिति जोधपुर की ओर से श्रीराम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर में हुआ। समिति के महानगर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि विवाह समारोह में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समिति के महामंत्री राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि सभी बारातें जूना खेड़ापति हनुमानजी मंदिर से रवाना होकर आखलिया चौराहा होते हुए विवाह स्थल पहुंची। यहां सभी बारातों का स्वागत कर विधि विधान से उनका पाणिठाहण संस्कार करवाया गया। इस दौरान वर-वधु को रामलला की प्रतिमा भेंट की गई। सामूहिक विवाह में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेवा भारती अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली व विशेष अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा थे। समिति के मंत्री मोहनलाल करवा व सहमंत्री जितेंद्र गौड़ ने बताया कि सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक समरसता, सादगी, समर्पण का दृश्य देखने को मिला। सेवा भारती की ओर से प्रत्येक वर-वधू को उपहार दिए गए।

महावीर स्वामी सेवा समिति और बालकृष्णन्म इंटरनेशनल फाउंडेशन का तीसरा सामूहिक विवाह समारोह सारण नगर स्थित महादेव वाटिका में हुआ। समिति के त्रिलोकसिंह ने बताया कि यह विवाह समारोह जरूरतमंद लोगों और कोरोनाकाल में परिजनों को खोने वाली युवतियों की मदद के लिए करवाया गया। समिति हर जोड़े को घरेलू उपकरण, कपड़े सहित रोजमर्रा में काम आने वाली सामठी उपहार के तौर भेंट की गई। साथ ही सभी जोड़े का तीन-तीन लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी करवाया गया।

कथा आज से

पाली, (नि.सं.)। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन 24 मई से 30 मई तक श्री सिद्ध पीठ गणेश मन्दिर नागा बाबा बगेची में संत भगतराम शास्त्री महाराज जैतारण गुरूदेव सन्त भागीरथरामजी महाराज नागौर व सिद्ध पीठ गणेश मन्दिर नागा बाबा बगेची के महंत सुरेशगिरी महाराज के सानिध्य में हनुमान नारणिया, धापूदेवी की स्मृति में आयोजककर्ता ओमप्रकाश प्रजापत द्वारा आयोजित होगी।

प्रवक्ता अम्बालाल सोलंकी ने बताया कि सन्त गोविन्दरामजी महाराज शास्त्री नागौर के मुखारविंद से कथावाचन दिनांक 24 मई शुक्रवार से रोजाना प्रात: 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इससे पहले शुक्रवार प्रात: 8:00 बजे से रतनेश्वर महादेव मन्दिर से भव्य कलशयात्रा निकाली जाएगी। जो अम्बेडकर सर्किल, गीता भवन, गांधी मूर्ति होती हुई नागा बाबा बगेची पहुंचेगी। कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर कमेटियों का गठन कर कार्यभार सौंपा गया है।

मिर्च पाउडर व तेल चोरी

जोधपुर, कासं)। माता का थान स्थित राम अवतार नगर में एक मसाला पिसाई सेंटर रात के समय चोरों ने सैंध लगाकर वहां से लाखों का मिर्च पाउडर और सोया तेल के टीन चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध पिकअप नजर आई है। जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पाल रोड स्थित रूप नगर द्वितीय निवासी पुखराज सुथार ने केस दर्ज करवाया है।

मतगणना का प्रशिक्षण दिया

जालोर, (कासं)। लोकसभा आम चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में गुरूवार को स्टेडियम के पास स्थित बहुउद्देशीय हॉल जालोर में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक व माईको ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने कहा कि मतगणना में नियुक्त कार्मिक निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कर्तव्य व निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्णत: पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर कार्य को अंजाम दें। उन्होंने नियुक्त कार्मिकों को मतगणना स्थल पर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतगणना सम्पन्न करवाने की बात कही। प्रशिक्षण के सहायक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्रीराम गोदारा व अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक मोहनलाल परिहार ने भी मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी। मुख्य प्रशिक्षक जगदीश रामावत ने मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक व माईक्रो ऑब्जर्वर के कार्य व भूमिका में पॉवर पोईन्ट प्रजेन्टेशन से जानकारी दी।

प्रशिक्षु रेजिडेंट को सेवारत चिकित्सक माना, ए.पी.ओ. आदेश पर रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षु रेजिडेंट डॉक्टर को सेवारत चिकित्सक मानकर एएपीओ करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाइकोर्ट ने डॉ. कावद अंकित जेरामभाई की रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया। रेजिडेंट चिकित्सक की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।

भावनगर, गुजरात निवासी डॉ. कावद अंकित जेरामभाई की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका दायर कर बताया कि याची ने वर्ष 2021 में एमबीबीएस करने के बाद नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2023 में भाग लिया और इसमें उसके उत्तीर्ण होने के बाद माह अगस्त 2023 में नागौर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जेएलएन ज़िला अस्पताल आवंटित किया गया। जिसमे उसने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में डिप्लोमा स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में 14 अगस्त 2023 को जॉइन किया। नियमानुसार मेडिकल स्नातक डिग्री हासिल करने के बाद दो वर्षीय पीजी स्नातकोत्तर डिप्लोमा में एडमिशन होने पर प्रशिक्षु रेजिडेंट डॉक्टर कहलाता है जो राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार गवर्नमेंट अधिकारी/राजकीय सेवक की परिभाषा में नहीं आता है। आर.एस.आर. के नियम अनुसार एपीओ आदेशों की प्रतीक्षा में केवल राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को ही किया जा सकता है। जबकि याची एक दो वर्षीय पीजी स्नातकोत्तर डिप्लोमा का विद्यार्थी हैं जिसे कोई मासिक सैलरी नही मिलती हैं। 10 मई 2024 की रात्रि में रात्रि ड्यूटी पर होने के कारण अस्पताल के इंचार्ज द्वारा उसे केवल इस कारण एपीओ कर दिया गया कि ईलाज के दौरान एक प्रसूता की मृत्यु हो गई। वस्तुत: रात्रिकालीन ड्यूटी पर केजुयल्टी मेडिकल ऑफिसर और अन्य चिकित्सक मौजूद रहते हैं जिनके दिशानिर्देशों के अनुसार ही एक शिक्षार्थी के रूप में रेजिडेंट डॉक्टर कार्य करता है। याची की ओर से बताया गया कि एपीओ करने से अब याची का दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कैसे पूर्ण होगा क्योंकि निदेशालय में भेजने से याची के प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य भवन में कोई मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में ज़िला अस्पताल, नागौर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का आदेश तुगलकी फ़रमान जैसा है। एमसीआई के प्रावधानों अनुसार एक रेजिडेंट डॉक्टर एक साल में केवल 20 छुट्टियां ही ले सकता है। बिना कोई जांच किये और बिना सुनवाई का मौका दिए, याची को बलि का बकरा बनाया गया और जयपुर पदस्थापना की प्रतीक्षा में करना हास्यास्पद है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने 11 मई के एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए याची को उसी आवंटित अस्पताल में रेजीडेंसी पूर्ण करवाने के अंतरिम आदेश दिए और राज्य सरकार सहित अन्य को जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **तुलसा राम पुत्र मैगना राम पताः गांव लखनी थाना बागोडा जिला सांचौर (जालौर) राजस्थान ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 000681/2022 दिनांक 14.09.2022 धारा 279/406 भा.द.स. के तहत** थानाः करोल बाग, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **तुलसा राम** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **तुलसा राम** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 000681/2022 दिनांक 14.09.2022 धारा 279/406 भा.द.स. के तहत थाना करोल बाग, दिल्ली के उक्त तुलसा राम** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25.06.2024** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
शिप्रा धनकर
महानगर दण्डाधिकारी-01
(केंद्रीय जिला) कमरा नं. 180, पहली मंजिल
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/5986/CD/2024

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राजस्थान)

Tel. (02973) 222270 (अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर -343001) E-mail : mbjalorc24@yahoo.in

क्रमांक:नपजा/राजस्व/2023-24/7239 दिनांक : 01.02.2024

उजरदारी ऐतराज सूचना

श्रीमती दीपिका पत्नी श्री जम्बू कुमार, जाति-जैन, निवासी कल्याण नगर जालोर, हाल-फतेह रॉयल रेजीडेन्सी, जालोर ने एक भूखण्ड/मकान के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त भुखण्ड जालोर चक्र नम्बर-3, राजस्व ग्राम-जालोर के खसरा सं. 6572/2608, 6574/6559, 6575/2603, 6577/2607, जालोर में आया हुआ है उक्त औघौगिक प्लॉट का पटटा कार्यालय नगर परिषद, जालोर के लीजडीड सं. 241/2012-13, दिनांक-07.01.2013 को श्री हरा पुत्र श्री मोडाजी के नाम से जारी किया गया है जिसका कुल क्षैत्रफल 6994 वर्गगज है श्री हरा द्वारा जरिये रजिस्टी दिनांक 29.01.2013 को श्रीमती मंजु झंवर पत्नी गोपाल झंवर एवं दिपीका दलाल पत्नी जम्बुकुमार को बेचान किया गया त्तपश्चात श्रीमती मंजु झंवर द्वारा उक्त प्लॉट में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टी दिनांक 04.07.2022 को श्रीमती दीपिका पत्नी जम्बूकुमार को बेचान किया गया इस प्रकार श्रीमती दीपिका पत्नी श्री जम्बूकुमार का उक्त औघौगिक प्लॉट का क्षेत्रफल 62952.45 वर्गफीट अर्थात 6994 वर्गगज का प्रार्थी ने अपने नाम से नामांतरण चाहा गया है उक्त आवासीय प्लॉट के पडौस एवं चतुर्सीमा निम्न प्रकार हैं

उत्तर :- शेष कृषि भूमि, यह भुजा 197 मीटर हैं।
दक्षिण :- खसरा सं. 6800/6572, 6803/6577, 6802/6575, यह भुजा 201 मीटर हैं।
पूर्व :- कृषि भूमि, यह भुजा 28.80 मीटर हैं।
पश्चिम :- सडक उपयोग हेतु छोडी गई भूमि व रास्ता, यह भुजा 30 मीटर हैं।

अत: सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज साक्ष्य सहित निम्नहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। इस प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान इस कार्यालय के राजस्व अनुभाग में आकर किया जा सकेगा। अवगत रहे।

आयुक्त,
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राजस्थान)

Tel. (02973) 222270 (अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर -343001) E-mail : mbjalorc24@yahoo.in

क्रमांक:नपजा/राजस्व/2023-24/7237 दिनांक : 01.02.2024

उजरदारी ऐतराज सूचना

श्रीमती दीपिका पत्नी श्री जम्बू कुमार, जाति-जैन, निवासी कल्याण नगर जालोर, हाल-फतेह रॉयल रेजीडेन्सी, जालोर ने एक भूखण्ड/मकान के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त भुखण्ड जालोर चक्र नम्बर-3, राजस्व ग्राम-जालोर के खसरा सं. 6800/6572, 6573/2608, 6801/6574, 6802/6575, 6803/6527/2604जालोर में आया हुआ है उक्त औघौगिक प्लॉट का पटटा कार्यालय नगर परिषद, जालोर के लीजडीड सं. 242/2012-13, दिनांक-07.01.2013 को श्री भैरूलाल द्वारा पुत्र श्री खेमाजी के नाम से जारी किया गया है । जिसका कुल क्षैत्रफल 7030.94 वर्गगज है । श्री भैरूलाल द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 29.01.2013 को श्रीमती मंजु झंवर पत्नी गोपाल झंवर एवं दिपीका दलाल पत्नी जम्बुकुमार को बेचान किया गया। त्तपश्चात श्रीमती मंजु झंवर द्वारा उक्त प्लॉट में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टी दिनांक 04.07.2022 को श्रीमती दीपिका पत्नी जम्बूकुमार को बेचान किया गया। इस प्रकार श्रीमती दीपिका पत्नी श्री जम्बूकुमार का उक्त औघौगिक प्लॉट का क्षेत्रफल 63278.59 वर्गफीट अर्थात 7030.9 वर्गगज का प्रार्थी ने अपने नाम से नामांतरण चाहा गया है। उक्त आवासीय प्लॉट के पडौस एवं चतुर्सीमा निम्न प्रकार हैं

उत्तर :- खसरा सं. 6572/2608, 6574/6559, 6575/2603, 6577/2607, यह भुजा 201 मीटर हैं।
दक्षिण :- खसरा सं. 2604/2605, यह भुजा 205 मीटर हैं।
पूर्व :- कृषि भूमि, यह भुजा 30 मीटर हैं।
पश्चिम :- सडक उपयोग हेतु छोडी गई भूमि व रास्ता, यह भुजा 27.94 मीटर हैं।

अत: सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज साक्ष्य सहित निम्नहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। इस प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान इस कार्यालय के राजस्व अनुभाग में आकर किया जा सकेगा। अवगत रहे।

आयुक्त,
नगर परिषद, जालोर